न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 37 / 2019

प्रार्थी :– अल्लारख पुत्र श्री लाल मोहम्मद, जाति मुसलमान (तेली), निवासी मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर(राज.)।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, मेड़ता।
2. भू अभिलेख निरीक्षक, मेड़ता।
3. पटवारी हल्का, मेड़ता
4. नगरपालिका मण्डल, मेड़ता जरिये अध्यक्ष
5. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, मेड़ता।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 26/11/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी महेन्द्र चौधरी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा मेड़ता की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1803 मीन रकबा 11 बीघा 13 बिश्वा, खसरा नम्बर 1799 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा व खसरा नम्बर 1800 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 15 बीघा 9 बिश्वा की जमीन वाके है यानि खसरा नम्बर 1803 रकबा 11 बीघा 13 बिश्वा व खसरा नम्बर 1799 व 1800 तीनों खसरान पास–पास ही आये हुए है। इन खसरान में पुजा नगर–ए नाम से आवासीय कॉलोनी तत्कालीन खातेदार द्वारा वर्ष 1955 में काटी गयी और उसका एक नक्शा भी तैयार किया गया। उस नक्शे में मुख्य सड़क उक्त कॉलोनी के दक्षिणी तरफ दर्शाई गई तथा उक्त कॉलोनी यानि पुजा नगर जो मुख्य डामर सड़क से

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

उत्तरी तरफ आयी हुई है तथा उक्त सड़क के दक्षिणी तरफ दुर्गा नगर कॉलोनी आयी हुई है। पुजा नगर व दुर्गा नगर के बीच डामर सड़क स्थित है। इस प्रकार पुजा नगर–ए में प्रस्तावित नक्शा को सही मानते हुए कुछ भूखण्ड धारियों ने न.पा. मेड़ता से अपने भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिये है तथा कुछ भूखण्ड की कार्यवाही आवासीय प्रयोजनार्थ जेरकार है। उक्त आवासीय कॉलोनी में रहवासी पक्के मकान बनाये हुए है मगर अभी हाल ही में न.पा. मेड़ता द्वारा कुछ भूखण्ड धारियों को अतिक्रमण बताकर नोटिस जारी किये तब प्रार्थी को नगरपालिका मेड़ता द्वारा नोटिस जारी किया गया। तब प्रार्थी ने समस्त रिकोर्ड सम्मिलित किये उन रिकोर्ड में पुराने खसरा नम्बर 1803 जो 11 बीघा 13 बिश्वा को नये सेटलमेंट में बढाकर नये खसरा नम्बर 1241 कायम कर दिया और उसका रकबा 2.22 हैक्टेयर दर्ज कर दिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1800 रकबा 2 बीघा जिसका हैक्टेयर पद्धति अनुसार रकबा 0.32 हैक्टेयर बनता है मगर इस खसरा को रेकर्ड से ही हटा दिया और खसरा नम्बर 1799 रकबा 1 बीघा 16 बिश्वा जो आया हुआ था उसके दो नम्बर यानि एक 1212 व एक 1244 दो अलग–अलग स्थान पर कायम कर दिये जबकि पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 1799 एक ही चक में एक ही जगह आया हुआ है। इस प्रकार नये सेटलमेंट में रेकर्ड में त्रुटि होने से प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा गलत नोटिस जारी किये है। इस वजह से इस रेकर्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार पुजा नगर–ए जो खसरा नम्बर 1799, 1800 व 1803 का पश्चिमी हिस्सा 1 बीघा 13 बिश्वा में जो आवासीय कॉलोनी बनायी गई है। उसी अनुसार नये सेटलमेंट के नक्शे में उसे तरमीम किया जावें। यहां पर इस कॉलोनी के नक्शा को न.पा. व राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सही मान आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुराने खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 1799, 1800 व 1803 के नये कायम खसरा नम्बर पुजा नगर–ए कॉलोनी के संलग्न प्रमाणित नक्शा अनुसार तरमीम किया जाकर नक्शा व जमाबंदी दुरूस्त की जावें।

2. प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में, मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 1456, बेचाननामा विक्रेता मुख्त्यार क्रेता अल्लारख, भूमि रूपान्तरण अनापत्ति आदेश, उपखण्ड मेड़ता का दिनांक 01.05.1997, नगरपालिका मण्डल मेड़ता द्वारा अलारख, राजु सिंधी, हारून को जारी नोटिस, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सम्वत् 2053 से 2056, खाता संख्या 1227 प्रतियां पेश की।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने पटवारी हल्का मेड़ता एवं आई.एल.आर. मेड़ता की मूल मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2019 मय अभिशंषा पत्रांक/भू.अ. /शुद्धि/2019/1229 दिनांक 09.10.2019 भिजवायी है, पटवारी हल्का मेड़ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राम मेड़ता के पुराने खसरा नम्बर 1799, 1800, 1803 निजी खातेदारी की भूमि आयी हुई थी तथा खसरा नम्बर 1801, 1802 गै.मु. नाड़ी आयी हुई थी। काफी समय पहले उपरोक्त निजी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1800, 1803, 1799 के दक्षिणी के सहारे इन खसरा नम्बर में से बाईपास सड़क निकली थी। इस खसरा नम्बर में से बाईपास सड़क निकली तब सड़क के उत्तरी तरफ खातेदारी भूमि रही थी। दक्षिणी माठ के सहारे सड़क निकलने से इन खसरा नम्बर की भूमि दक्षिणी तरफ बिल्कुल भी नही रही थी। उत्तरी तरफ की भूमि में कृषि भूखण्डों की एक आवासीय कॉलोनी पूजा नगर काटी गई थी। जिसका ब्ल्यू प्रिंट भी साथ में संलग्न है। इस नक्शे में भी बाईपास सड़क के केवल उत्तरी तरफ ही आवासीय कॉलोनी कृषि भूखण्ड दर्शाये हुए है। इस प्रकार नजरी नक्शे के अनुसार लाल स्याही से दर्शित बाईपस सड़क के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 1799 व 1800 का भाग

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

बिल्कुल नही रहा है। अभी नये सेटलमेंट में उपरोक्त निजी खातेदारी भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1799, 1800, 1803 के नये खसरा नम्बर 1212, 1241, 1244 बने है तथा पुराने खसरा नम्बर 1801, 1802 गै.मु. नाड़ी के नये खसरा नम्बर 1242, 1243 बने है। नये नक्शे में बाईपास सड़क के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 1212 दर्शाया है। जो गलत है। क्योंकि पुराने नक्शे अनुसार सड़क के दक्षिण तरफ इनकी खातेदारी भूमि नही थी। उपरोक्त नजरी नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 1212 को सड़क बाईपास के दक्षिणी तरफ सेटलमंट विभाग ने तरमीम की है। जबकि पुराने नक्शे अनुसार सड़क के दक्षिणी तरफ इनकी खातेदारी भूमि नही आती है। इस प्रकार पुराने नक्शे व नये नक्शे में भिन्नता होने के कारण नये नक्शे अनुसार मौके का मिलान नही हो रहा है। अतः उपरोक्त नये नक्शे में खसरा नम्बर 1212, 1244, 1242, 1243, 1241 में पुराने नक्शे के अनुसार **निम्न प्रकार तरमीम व शुद्धि व रेकर्ड शुद्धि किया जाना है, जो निम्न प्रकार है :–** उपरोक्त नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 1211 की तरमीम खसरा नम्बर 1220 तक करनी है तथा खसरा नम्बर 1244 की तरमीम खसरा नम्बर 1242, 1243, 1248 में करनी है तथा खसरा नम्बर 1242 व 1243 की तरमीम खसरा नम्बर 1241 में नजरी नक्शे अनुसार नक्शे में शुद्धि करनी है तथा राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.25 हैक्टेयर को खसरा नम्बर 1213 के खाते में शामिल कर खसरा नम्बर 1213 का रकबा 5.2270 हैक्टेयर के स्थान पर 4.9770 हैक्टेयर शुद्धि किया जाना है तथा खसरा नम्बर 1244 का रकबा 0.16 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.41 हैक्टेयर शुद्धि दर्ज किया जाना है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1213 में 0.25 हैक्टेयर की कमी होगी तो खसरा नम्बर 1244 का रकबा 0.25 हैक्टेयर में बढोतरी होगी यानि रकबा उपरोक्त खसरा नम्बर का बढाने व घटाने के कुल ग्राम के रकबे में कोई परिवर्तन नही होगा तथा शेष खसरा नम्बर 1211, 1212, 1241, 1242, 1243,

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

1248 के रकबे में कोई परिवर्तन नही करना है। केवल तरमीम शुद्धि की जानी है। अतः रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में पेश कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार शुद्धि किया जाना उचित है।

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहते है। जिसके नाम तर्क कर दिया जावें। जो स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का नाम तर्क किया गया।
5. विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्नगत भूमि नये सेटलमेंट में गलत इन्द्राज हुआ है। जिससे रेकर्ड एवं नक्शा में तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर दुरूस्त किया जाना उचित है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1229 दिनांक 09.10.2019 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

7. तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1229 दिनांक 09.10.2019 अनुसार ग्राम मेड़ता के पुराने खसरा नम्बर 1799, 1800, 1803 निजी खातेदारी की भूमि आयी हुई थी तथा खसरा नम्बर 1801, 1802 गै.मु. नाड़ी आयी हुई थी। काफी समय पहले उपरोक्त निजी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1800, 1803, 1799 के दक्षिणी के सहारे इन खसरा नम्बर में से बाईपास सड़क निकली थी। इस खसरा नम्बर में से बाईपास सड़क निकली तब सड़क के उत्तरी तरफ खातेदारी भूमि रही थी। दक्षिणी माठ के सहारे सड़क निकलने से इन खसरा नम्बर की भूमि दक्षिणी तरफ बिल्कुल भी नही रही थी। उत्तरी तरफ की भूमि में कृषि भूखण्डों की एक आवासीय कॉलोनी पूजा नगर काटी गई थी। जिसका ब्ल्यू प्रिंट भी साथ में संलग्न है। इस नक्शे में भी बाईपास

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

सड़क के केवल उत्तरी तरफ ही आवासीय कॉलोनी कृषि भूखण्ड दर्शाये हुए है। इस प्रकार नजरी नक्शे के अनुसार लाल स्याही से दर्शित बाईपस सड़क के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 1799 व 1800 का भाग बिल्कुल नही रहा है। अभी नये सेटलमेंट में उपरोक्त निजी खातेदारी भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1799, 1800, 1803 के नये खसरा नम्बर 1212, 1241, 1244 बने है तथा पुराने खसरा नम्बर 1801, 1802 गै.मु. नाड़ी के नये खसरा नम्बर 1242, 1243 बने है। नये नक्शे में बाईपास सड़क के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 1212 दर्शाया है। जो गलत है। क्योंकि पुराने नक्शे अनुसार सड़क के दक्षिण तरफ इनकी खातेदारी भूमि नही थी। उपरोक्त नजरी नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 1212 को सड़क बाईपास के दक्षिणी तरफ सेटलमंट विभाग ने तरमीम की है। जबकि पुराने नक्शे अनुसार सड़क के दक्षिणी तरफ इनकी खातेदारी भूमि नही आती है। इस प्रकार पुराने नक्शे व नये नक्शे में भिन्नता होने के कारण नये नक्शे अनुसार मौके का मिलान नही हो रहा है। अतः उपरोक्त नये नक्शे में खसरा नम्बर 1212, 1244, 1242, 1243, 1241 में पुराने नक्शे के अनुसार निम्न प्रकार तरमीम व शुद्धि व रेकर्ड शुद्धि किया जाना है, जो निम्न प्रकार है :– उपरोक्त नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 1211 की तरमीम खसरा नम्बर 1220 तक करनी है तथा खसरा नम्बर 1244 की तरमीम खसरा नम्बर 1242, 1243, 1248 में करनी है तथा खसरा नम्बर 1242 व 1243 की तरमीम खसरा नम्बर 1241 में नजरी नक्शे अनुसार नक्शे में शुद्धि करनी है तथा राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.25 हैक्टेयर को खसरा नम्बर 1213 के खाते में शामिल कर खसरा नम्बर 1213 का रकबा 5.2270 हैक्टेयर के स्थान पर 4.9770 हैक्टेयर शुद्धि किया जाना है तथा खसरा नम्बर 1244 का रकबा 0.16 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.41 हैक्टेयर शुद्धि दर्ज किया जाना है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1213 में 0.25 हैक्टेयर की कमी होगी तो खसरा नम्बर 1244 का

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.25 हैक्टेयर में बढोतरी होगी यानि रकबा उपरोक्त खसरा नम्बर का बढाने व घटाने के कुल ग्राम के रकबे में कोई परिवर्तन नही होगा तथा शेष खसरा नम्बर 1211, 1212, 1241, 1242, 1243, 1248 के रकबे में कोई परिवर्तन नही करना है। केवल तरमीम शुद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार मेड़ता की उपरोक्त अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2019/1229 दिनांक 09.10.2019 निर्णय का भाग होगी।

8. तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो, भूमि रहन नही हो तथा कुल रकबा में कोई परिवर्तन नही तथा किसी प्रकार का विवाद नही हो तथा संबंधित खातेदारान को कोई आपत्ति नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के.आर. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.05 12:53:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: